

न्यायालय नायब तहसीलदार प्रथम / द्वितीय  
अजमेर

राजस्व मुकदमा संख्या २२२/२०२०

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व  
अधिनियम, 1956

सरकार शुबानी बनाम

श्री डि.शाना डी.बी.जी.  
जालि.रावत.प्रा.र.को.डा.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शुबानी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम शोडा खसरा नं. २३३ रकबा ०.०५ किस्म गै.मु.बीड सिवायचक है, पर सम्वत २०७७ में अतिक्रमण कर रबी / खरीफ में फसल बाड़लाकर अतिक्रमण बो दी है। घास / बाड़ा / मकान या अन्य तरीके से अनाधिकृत कब्जा कर लिया है।

पटवारी रिपोर्ट से आश्वस्त होकर विपक्षी के खिलाफ अन्तर्गत धारा 90 ए. एवं 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी को तलबी जरिये नोटिस की गई। विपक्षी बावजूद नोटिस पर हाजिर / गैरहाजिर आया। इसलिए प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी ने उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार / अस्वीकार किया। वचाव पक्ष में किसी तरह की शहादत पेश नहीं की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक शु.उ.ल को फसल की निलामी / निर्माण कार्य जब्त सरकार कर फर्द पेश करेंगे एवं दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान २५०० का ५० गुणा १०० शास्ति रुपया १००/- कायम की जाती है।

तहसील राजस्व लेखाकार को कायमी व पटवारी को कायमी बेदखली हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक ०९/०९/२०२० को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली की मांग की राशि १००/-  
रा.ले.सं.-4 वर्ष 20.२.२0२१ के पृष्ठ सं. २१  
पर इन्द्राज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार अजमेर प्रथम/ द्वितीय